



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042026-272166
CG-DL-E-29042026-272166

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2060]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2026/वैशाख 9, 1948

No. 2060]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2026/VAISAKHA 9, 1948

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2026

का.आ. 2133(अ).— केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार दिनांक 10 अक्तूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3659(अ.), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित से संबंधित तालिका में—

(क) क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“8.	हरियाणा चिकित्सा परिषद	डॉ. सतीश कुमार खट्टर”;
-----	------------------------	------------------------

[फा. सं. यू.12012/18/2024-एमई-1]

विनोद कोतवाल, अपर सचिव

टिप्पणी.— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या एस.ओ. 3659 (ई), दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संशोधन संख्या एस.ओ. 2361 (ई), दिनांक 28 मई, 2025 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2026

S.O. 2133(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 3659(E), dated the 10th October, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:—

In the said notification,—

(a) under paragraph (5), in the Table,—

(i) for serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

“8.	Haryana Medical Council	Dr. Satish Kumar Khattar”;
-----	-------------------------	----------------------------

[F. No. U.12012/18/2024-ME-1]

Dr. VINOD KOTWAL, Addl. Secy.

Note.— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 3659 (E), dated the 10th October, 2019 and last amended *vide* notification number S.O. 2361 dated the 28th May, 2025.